जू0हा0 स्तर (अंग्रेजी माध्यम)

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलिया।

सेवा में,

प्रबन्धक,
एस0एस0 पैरामाउन्ट स्कूल मझौली,
शिक्षा क्षेत्र– दुबहड़
बलिया।

पत्रांक : 651/52-50-53 /2018–19 दिनांकः 04-7-2018

विषय– **निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

प्रिय महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0– 419/79–6–2013–18 एस (7) 79 दिनांक 08 मई 2013 के अनुपालन में आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं **एस0एस0 पैरामाउन्ट स्कूल मझौली, शिक्षा क्षेत्र– दुबहड़, जनपद– बलिया** को दिनांक 01 जुलाई 2017 से 30 जून 2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री–प्राइमरी से कक्षा 08 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्याधीन है:–

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–1) और उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 (पच्चीस) प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों, और सुविधा विहिन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रिनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा।
   विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चत करेगाः–
   (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अभिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   (v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
   (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अभिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। इसका अनिवार्यतः पालन किया जाएगा इसका अनिवार्यतः पालन किया जाएगा।
   (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विर्निदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
   (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अभिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विर्निदिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैः–

- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– 21132.23"
- कुल निर्मित क्षेत्र– 6151"
- क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल– 14981.23"
- कक्षाओं की संख्या– 10
- प्राध्यापक सह कार्यालय– सहभण्डार के लिए कक्ष– 01
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– उपलब्ध है।
- पेयजल– उपलब्ध है।
- मिड डे मिल पकाने के लिए रसोई– उपलब्ध है।
- बाधा रहित पहुँच– है।
- अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता–

9. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) में अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउण्टेण्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित **कोड संख्यांक** 602/18 है। कृपया इसको ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
17. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन करेगा।
18. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(संतोष कुमार राय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलिया

पृ0सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी शिक्षा क्षेत्र **दुबहड़**, बलिया।

(संतोष कुमार राय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलिया

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ